

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बैनीताल के विकास खण्ड श्रीमताल बैनीताल

RoW permission for laying Optical Fiber

Cable

from बैनीताल - श्याली - बैरना पुल - मुथाला (Total

Length 46.2 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.462 है। वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 / 98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेशन लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदे 1 के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.462 है। वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।



17/08/2014

बैनीताल